फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

लखुदास बनाम सुरेश आदि

किस्म मुकदमा : 88, 53, 188 RTA प्रकरण संख्या 491/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
15.06.2023	यह वाद पत्र वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादी रजिस्टर सम्मन पेश करे । पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 26 /07/2023 को पेश हो ।	
26/7/23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पी.ओ. महोदय प्रतिवादी म.12 कि तरफ से वकालतनामा पेश पत्रावली दि० 3/8/23 को पेश हो।	
3/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। वादी। प्रार्थी की पहचान वकील वादी ने की। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त वाद। इस्तवास्त में वादी व प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो चुका है। वादी उक्त पत्रावली आगे चलाना नहीं चाहते हैं। पत्रावली को खारिज फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली तलबी में विचाराधीन है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा अनुतोषी प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद तकमील डाकिया [illegible]	लखुदास

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner